बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

संख्या – वि० प्रा० (I) व^2–06/2013 पार्ट–I/ 161 /पटना, दिनांक – 16.1.2020

विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में पूर्व से नियोजित विभिन्न संकायों के सहायक प्राध्यापकों के संविदा अवधि विस्तार पर विचार किया गया, जिसके आलोक में निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक के संबंध में निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है :–

1.

I. श्री मनोरंजन कुमार सिन्हा (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०)

II. श्री शम्भु कुमार (कम्प्यूटर इंजी०)

III. श्री राजीव देव रंजन (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०)

IV. श्री शशांक शेखर (विद्युत)

V. मो० आसिफ मोईज (ई०सी०ई०)

VI. श्री संजीव कुमार (ई०सी०ई०)

VII. श्री संतोष कुमार (कम्प्यूटर इंजी०)

उक्त सातों शिक्षकों द्वारा डिस्टेन्स मोड से M.TECH डिग्री प्राप्त किया गया है। प्राप्त डिग्री की मान्यता के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार डिस्टेन्स मोड से प्राप्त M.TECH की डिग्री मान्य नहीं है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श भी प्राप्त किया गया है। परामर्श में उल्लेख किया गया है कि सहायक प्राध्यापकों द्वारा प्रथम संविदा नियोजन के समय नियोजन की अर्हता धारित की गयी होगी तभी प्रशासी विभाग द्वारा उनका संविदा नियोजन किया गया होगा। परन्तु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मापदंड निर्धारित किये जाने के उपरान्त संविदा नियोजन के अवधि विस्तार हेतु उक्त मापदंडों को पूरा किया जाना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाय तो संबंधित संस्थान की मान्यता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त सातों शिक्षकों को संविदा नियोजन पर अवधि विस्तार करना नियमानुकूल नहीं है।

2.

I. डा0 रविकांत झा (असैनिक अभि०)

II. डा0 विमलेश विभूति रंजन (असैनिक अभि०)

III. डा0 रविन्द्र प्रकाश किरण (असैनिक अभि०)

IV. डा0 राजीव रंजन कुमार (इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी०)

उपर्युक्त चारों संविदा शिक्षकों द्वारा B.Sc(Engg) के बाद M.Sc(Engg) तथा Ph.D की उपाधि भी भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU), मुजफ्फरपुर से प्राप्त की गयी है।

कृ०पृ०उ०

LPA NO 1206/2016 एवं 1204/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में BRABU से प्राप्त M.Sc(Engg) की डिग्री को सहायक प्राध्यापक के पद पर नियोजन हेतु M.E/M.TECH की डिग्री के समकक्ष नहीं माना गया है, जबकि सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/नियोजन हेतु बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2014 के अनुसार M.E/M.TECH की डिग्री होना आवश्यक है। अतएव उपरोक्त चारों शिक्षकों के संविदा नियोजन पर अवधि विस्तार करना नियमानुकूल नहीं है।

3.

I. डा0 श्वेतांशु शेखर (आई०टी०)

II. श्री राज राजीव कांत (विद्युत अभि०)

III. श्री चिन्तामणी मंडल (कम्प्यूटर इंजी०)

श्री श्वेतांशु शेखर B.Tech की डिग्री धारित नहीं कर M.Sc(Physics) और M.TECH (IT) की डिग्री धारित करते है। जबकि प्रासंगिक शाखा में B.Tech और M.TECH की डिग्री अनिवार्य है।

श्री राज राजीव कांत द्वारा B.Sc(Electrical Engg) की डिग्री प्रथम श्रेणी में पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की गयी है। श्री राज राजीव कांत द्वारा BRABU से M.Sc(Engg) की डिग्री प्राप्त की गई है, जो अमान्य है। जबकि प्रासंगिक शाखा में B.Tech और M.TECH की डिग्री अनिवार्य है।

श्री चिन्तामणी मंडल द्वारा B.E (Computer science engg) की डिग्री प्रथम श्रेणी में उत्कल विश्वविद्यालय से प्राप्त की गयी। श्री मंडल M.E/M.TECH की उपाधि धारित नहीं करते है, जो अनिवार्य है। अतएव उपरोक्त तीनो शिक्षकों के संविदा नियोजन पर अवधि विस्तार करना नियमानुकूल नहीं है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

16.1.20

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) व²–06/2013 पार्ट–I/ 161 **/पटना, दिनांक –** 16-1-2020

प्रतिलिपि– प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी संबंधित सहायक प्राध्यापक/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/विभागीय सभी पदाधिकारी/ आई०टी० मैनेजर (अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.1.20

संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

विकाश/16.01.20